बिहार सरकार
परिवहन विभाग

सूचना

आम वाहन स्वामियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–88 की उप धारा (5) के अंतर्गत बिहार गजट में बिहार एवं पश्चिम बंगाल के बीच प्रस्तावित पारस्परिक परिवहन समझौता का प्रारूप अधिसूचना संख्या–2966 दिनांक–26.05.2014 के द्वारा बिहार गजट में प्रकाशित किया गया था एवं उक्त अधिसूचना के संबंध में वाहन स्वामियों से सुझावों/आपत्तियों की मांग दिनांक–26.06.2014 तक की गई थी । जिसके आलोक में बहुत से वाहन स्वामियों से सुझाव/आपत्तियाँ ससमय प्राप्त हुई थी, जिनकी पूर्णतः सुनवाई अपरिहार्य कारणवश नही की जा सकी थी ।

निदेशानुसार उक्त प्राप्त सुझावों/आपत्तियों पर सुनवाई दिनांक–26.06.2015 को 5.00 बजे अपराह्न में प्रधान सचिव–सह–राज्य परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के द्वारा विश्वेश्वरैया भवन, स्थित उनके कार्यालय कक्ष में की जायेगी । अतएव पूर्व में सुझाव/आपत्ति समर्पित करने वाले वाहन स्वामियों को सूचित किया जाता है कि उक्त तिथि को ससमय सुनवाई हेतु उपस्थित होने का कष्ट करेंगे ।

अपर सचिव
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

R.J.V-375